कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1/12102/व.अ./सी.न. –अंग्रेजी–2016/ दिनांक 30.10.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक विषय अंग्रेजी के पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के पे मैट्रिक्स वेतन लेवल–2 में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप मे दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय रूपये 26500/– प्रतिमाह (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति मे विद्यमान वेतन) देय होगा। वरियता क्रमानुसार काउंसलिंग का आयोजन दिनांक 31.10.2018 को किया जाकर अभ्यर्थी के द्वारा भरे गये विकल्प पत्र के अनुसार पदस्थापन आदेश निम्नांकित शर्तों पर जारी किये जाते हैं।

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त किसी प्रकार के भत्ते यथा– महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ती भत्ता, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश ही देय होगा। (वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017)
5. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स रैमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
6. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।

विद्यालय आवंटन के पश्चात सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगें :–

1. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्‌देश्य से आवेदन पत्र एवं नियक्ति पत्र पर अंकित फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करे।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी सेयह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
5. वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।
6. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं पाये जाने पर

Scanned by CamScanner

कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।

7. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।

8. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 10/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

9. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 10 रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।

10. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए। नियुक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 10.11.2018 तक संबंधित विद्यालय में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः की निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे।

निदेशालय, बीकानेर द्वारा नियुक्ति संबंधी कार्यवाही विधानसभा आम चुनाव आदर्श आचार संहिता में शिथिलन के संबंध में निर्वाचन विभाग राजस्थान के पत्रांकः एफ. 3(1)(9) I/Elect/2018/6995 दिनांक 08.10.2018 से गठित स्क्रीनिंग समिति से अनुमति प्रदान किये जाने एवं सामान्य प्रशासन विभाग की आई.डी. संख्या 3697/पीएस/जीएडी/18 दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर की गई है।

संलग्न-सूची

(विष्णु दत्त स्वामी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक : संनि/स्कूलशि./जय/संस्था-2/फा-सी.भ.व.अ.अंग्रेजी2016/2018/14 दिनांक : 31.10.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उपसचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर
3. शासन उपसचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
6. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक, जयपुर/अलवर/दौसा को संबंधित के मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र दो कार्यदिवस में संबंधित विद्यालयों को भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित संस्थाप्रधान को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक जयपुर/अलवर/दौसा से दो कार्यदिवस में प्राप्त कर लेवे।
8. सम्बन्धित आशार्थी
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
10. विभागीय वेबसाइट rajrmsa.nic.in पर प्रकाशनार्थ
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

Scanned by CamScanner

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के अंग्रेजी विषय में चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापन सूची

क्र0 सं0	मेरिट संख्या	अभ्यर्थी का नाम मय पिता का नाम	अभ्यर्थी का चित्र	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ग	वि0वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	717	राजेन्द्र प्रसाद यादव / रामानन्द यादव		05.06.1977	BC,EX	OBC M	EX	राबाउमावि खैरथल, किशनगढबास, अलवर (08060414241)
2	748	मीना देवी / विश्वनाथ यादव		15.05.1975	BC,WE, WD	GENF	WD	राउमावि शाहपुरा, जयपुर (08120309703)
3	781	शौकत अली / सादुले खां		20.05.1978	BC,EX	OBC M	EX	राउमावि झिवाणा, तिजारा, अलवर (08060603302)

(विष्णु दत्त स्वामी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

Scanned by CamScanner